कार्यालय पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, कमिश्नेरट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-06.06.2024

विषयः-पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन श्री मनीष कुमार शांडिल्य द्वारा पुलिस कार्यालय बाबतपुर में अपराध समीक्षा गोष्ठी की गयी।

आज दिनांक 06-06-2024 को पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन श्री मनीष कुमार शांडिल्य की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, गोष्ठी के दौरान अपर पुलिस उपायुक्त गोमती जोन, श्री आकाश पटेल, सहायक पुलिस आयुक्त पिण्डरा, गोमती जोन के समस्त थाना प्र0नि0/थानाध्यक्ष उपस्थित रहे। महोदय द्वारा समस्त सहायक पुलिस आयुक्त/थाना प्रभारियों को निम्नलिखित आदेश-निर्देश दिये गये-

1. महिला/एससी/एसटी से संबंधित अपराधों का गंभीरतापूर्वक त्वरित विधिक निस्तारण किया जाये तथा निस्तारण के उपरान्त उनके फीडबैक प्राप्त कर आवश्कतानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिया गया।
2. महिला हेल्प डेस्क पर दक्ष पुलिसकर्मियों की डयूटी लगाकर हेल्पडेस्क पर आने वाले प्रत्येक आगन्तुक का विवरण आगन्तुक रजिस्टर मे दर्ज किया जाए तथा जनता की समस्याओं को नम्रतापूर्वक सुनकर उन्हें भरोसा दिलाते हुये समस्याओं का त्वरित विधिक निस्तारण किया जाये।
3. टॉप-10 अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करना, जिलाबदर घोषित कराने सम्बन्धी निर्देश दिये गये।
4. शराब ठेको/मॉडल शॉप के आस-पास के संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों आदि की विशेष चेकिंग करने हेतु निर्देशित किया गया।
5. थानों पर अपराधियों की सूची का अवलोकन कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए।
6. विगत वर्षों से प्रकाश में आये, जिन अपराधियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।
7. थाना क्षेत्र के लापता एचएस की जानकारी कर चेकिंग एवं प्रभावी विधिक कार्यवाही की जाए।
8. थानों पर लम्बित मुकदमाती मालों के नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देश दिए।
9. पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा हिस्ट्रीशीटर/ जेल से रिहा अपराधियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी की जाये।
10. थाना क्षेत्रों में प्रतिदिन पैदल गश्त करते हुए विभिन्न चौराहों/तिराहों/बाजार/जनपदीय बार्डरों व अन्य चिन्हित स्थानों पर बैरियर पिकेट लगाकर चिन्हित कर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन

चेकिंग की जाये साथ ही शराब के ठेकों/ढाबा होटलों/बैंक/एटीएम सर्राफा दुकानों के आसपास चेकिंग की जाये।

11. गोमती जोन के समस्त थानों पर लम्बित विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्वक शीघ्र निस्तारण किया जाये तथा किसी भी दशा में 03 माह से अधिक समय तक विवेचनाए लम्बित न हो।
12. न्यायालय से सम्बन्धित प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किये जाए।
13. भूमि सम्बंधी विवादों को चिन्हित कर राजस्व विभाग की सहायता से निस्तारण करवाया जाये तथा आवश्यकतानुसार पक्षकारों को पाबंद कराया जाये।
14. आईजीआरएस व पब्लिक ग्रिवांस पर अपलोड किये गये प्रार्थना पत्रों को भौतिक सत्यापन करते हुए समयबद्धता, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु आदेशित किया गया।
15. थानो पर गुमशुदगी रजिस्टर का अवलोकन कर पूर्व में गुमशुदा लोगों की तलाश में तेजी लायी जाये।
16. पीआरवी वाहन क्षेत्र में धार्मिक स्थलों/ बैंक/ एटीएम/शिक्षण संस्थानों के आस पास भ्रमणशील रहे, थाना प्रभारी द्वारा पीआरवी वाहनों की नियमित चेकिंग करना सुनिश्चित करें।
17. बीट पुलिसिंग को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, व महिला आरक्षियों को भी बीट आवटिंत किया जाये तथा सभी बीट उप-निरीक्षक/बीट आरक्षी अपने-अपने बीट मे नियमित रुप से भ्रमणशील रहते हुये रजिस्टर नम्बर-08 की चेकिंग करते हुये ग्रामवासियों से चौपाल लगाकर वार्ता करेगें। बीट वार व्हाटसअप ग्रुप बना लिया जाये तथा थाना क्षेत्र के समस्त सर्वाजनिक स्थानों जैसे प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन, प्रमुख चौराहों पर उच्चअधिकारी से बीट आरक्षी तक का नाम व मो0न0 के पोस्टर लगवाये जायें। समस्त सहायक पुलिस आयुक्त एवं थाना प्रभारी थानाध्यक्ष पुलिस आरक्षियों की बीट बुक नियमित चेक करें।
18. यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाये एवं उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही की जाए तथा जाम की समस्या न उत्पन्न हो, जाम लगने वाले चौराहों/तिराहों को चिन्हित कर ट्राफिक एडवाइजरी कमेटी गठित कर स्थानीय लोगों के अनुभव का लाभ लिया जायें तथा जाम लगने वाले जगहों को चिन्हित कर पुलिस फोर्स लगाया जाये।
19. सभी थानों/कार्यालयों पर सीसीटीवी कैमरों को सुचारु रुप से चलाने, थाना/कार्यालय परिसर की नियमित साफ-सफाई हेतु निर्देश दिए।
20. प्रत्येक पुलिस कर्मी की जिम्मेदारी तय कर उनकी ब्रीफिंग की जाए ,सभी थाना प्रभारी अपने अधीनस्थ कर्मियों से प्रतिदिन संवाद करें, उनको प्रतिदिन टास्क दिया जाए तथा फिर उनके कामों की समीक्षा करने हेतु निर्देश दिया गया।
21. समाज में बढ़ रहे साइबर अपराधों के सम्बंध में सार्वजननिक स्थानों पर सामाजिक सस्थाओं के सहयोग से अभियान चलाकर जनता को जागरूक किया जाये व आवश्यकतानुसार सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, पम्पलेट आदि लगवाये जायें तथा साइबर अपराध करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही की जाये।

22.आगामी प्रतियोगी परीक्षा बीएड व यूपीएससी प्री-परिक्षाओं के दृष्टिगत परिक्षां केन्द्रों पर भ्रमण कर यातायात व पार्किंग व्यवस्था की जाए। जिससे बाहर से आने वाले परिक्षार्थियों कों असुविधा न होने पायें।

23.महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत एण्टी रोमियो टीम/महिला बीट अधिकारी द्वारा मिशनशक्ति कक्ष/महिला हेल्प डेस्क तथा लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर बाजार सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं/बालिकाओं से सम्पर्क कर गोष्ठी का आयोजन करते हुये उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाये तथा विभिन्न लाभप्रद योजनाओं/हेल्पलाइन नम्बरों आदि की जानकारी दी जाये।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
गोमती ज़ोन, कमिश्नरेट वाराणसी